

CSR की विफलता—एक नज़रिया

डॉ. जिगर पंड्या*

सार

हमें सीएसआर की प्रकृति और चारित्र को समझने की ज़रूरत है। आम धारणा तो यही बनी हुई है कि कंपनियां अपने फायदे के लिए सामाजिक कार्य करती हैं। ये सरकारी स्कूलों, स्थानों, संस्थानों आदि को हड्डप लेंगी। यह धारणा आम सामाजिक लोगों में गहरे बैठी हुई है। हमें इस धारणा को साकरना होगा। हालांकि कंपनियां अपने मुनाफे में से ही काम करती हैं। इसे स्वीकारने में किसी को भी गुरेज़ नहीं होगा कि कंपनियां जो भी लाभ कमाती हैं उसका कुछ अंश समाज को विभिन्न क्षेत्रों में मदद कर लौटाती है। बात यह भी सच है कि कई प्रोजेक्ट महज कागजों पर हैं मसलन डेटा, रिपोर्ट आदि में। वहीं ऐसी सीएसआर गतिविधियां भी हैं जो सच्चे अर्थ में समाज में परिवर्तन में अपनी सकारात्मक और सतत विकास में रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। इन्हें नकारा भी नहीं जा सकता और हाशिए पर भी नहीं धक्केल सकते।

पूर्व भूमिका

- हाल ही में लोकसभा द्वारा कंपनी संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया गया है।
- इसके अनुसार, यदि कोई कंपनी अपने द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिलिटी (Corporate Social Responsibility & CSR) फड़ की राशि एक निश्चित अवधि में खर्च नहीं करेगी, तो वह राशि स्वतः केंद्र सरकार के एक विशेष खाते (जैसे— कलीन गंगा फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) में जमा हो जाएगी।

CSR क्या है?

CSR से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों, जैसे— संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है।

मुख्य बिंदु

- कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के बाद अप्रैल-2014 में भारत CSR को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना।
- CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है, जिनका निवल मूल्य (Net Worth) 500/- करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार (Turnover) 1000/- करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ (Net Profit) 5 करोड़ से अधिक हो।
- CSR के तहत उपरोक्त कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% निम्नलिखित गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है:

* असिस्टेंट प्रोफेसर, के.आर.दोशी बी.एस.डब्ल्यू. कॉलेज, भावनगर, गुजरात।
(This paper has been submitted for the National Webinar on "Latest Advancements & Future Trends" organized by K. R. Doshi Group of Colleges, Bhavnagar, which was held on 20th December, 2020.)

- गरीबी व भूख का उन्मूलन।
- शिक्षा का प्रचार–प्रसार।
- लिंग समानता व नारी सशक्तीकरण।
- पर्यावरण संरक्षण।
- शिशु–मृत्यु दर व मातृ–मृत्यु दर में सुधार।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत के लिये केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी कोष में योगदान आदि।
- कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग और ग्रांट प्रक्रिया है, जिसके तहत नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन (NGO) कॉर्पोरेट सेक्टर से वित्तीय और अन्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों के औसत शुद्ध लाभ में 2 प्रतिशत का योगदान प्रदान करना एक अनिवार्य प्रावधान है। CSR को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा 1 के अनुसार आवश्यक और लागू किया जाता है।
- इसके अनुसार, जिन कम्पनियों की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या सालाना आय 1000 करोड़ की या सालाना लाभ 5 करोड़ का हो तो उनको CSR पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च तीन साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। कंपनी के पास बोर्ड की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी भी है। CSR के प्रावधान केवल भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होते हैं, बल्कि यह भारत में विदेशी कंपनी की शाखा और विदेशी कंपनी के परियोजना कार्यालय के लिए भी लागू होते हैं।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने और लागू करने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय की नीति, अधिनियम, नियम, संशोधन, अधिसूचना और दिशानिर्देश इस प्रकार हैं –
 - (कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 के 18) की धारा 469 की धारा 135 और उप–वर्गों (1) और (2) के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास में, केंद्र सरकार यहां कंपनियों को संशोधित करने के लिए नियम बनाती है (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014.)

देश के विकास में सरकार नीति बनाती है। दिशा–निर्देश एवं योजनाएं बनाकर समाज के हर तबके तक पहुंचाने की कोशिश करती है। बतौर सरकारी नीतियों के हर सामाजिक धड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि वह समाज और देश के विकास के लिए तत्पर हो। यही कोई छह सात साल पहले भारत सरकार ने भी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी सीएसआर गतिविधियों के लिए नियम बनाए। इस नियम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न औद्योगिक घराने अपने लाभ की दो फीसदी रकम सामाजिक विकास में खर्च कर रहे हैं। कभी इसका असर देखना हो तो आप दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई आदि जगहों पर जाकर क्षेत्र में देखें। हालांकि आज सीएसआर के अंतर्गत अलग–अलग कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं।

CSR की अवधारणा के मिथक

उत्तरदायित्व का मतलब होता है जवाबदेही, दायित्व, नियंत्रण, अधिकार और देखभाल का कर्तव्य। तो क्या इस संदर्भ यह शब्द वास्तव में उपयुक्त है? सीएसआर के माध्यम से कंपनियां हितधारकों के साथ जुड़ना चाहती हैं, लेकिन जवाब देने के कर्तव्य के बगैर।

वे सकारात्मक, या बस कम हानिकारक कार्यों के लिए श्रेय का दावा करते हैं, बिना किसी दायित्व के। वे 'वचन' शब्द परसंद करते हैं ना की 'कर्तव्य'।

कोई भी कंपनी उसके शेरधारकोंकी मिल्कियत होती है। उसका प्रमुख कार्य अपने शेरधारकों के मुनाफेके बारेमें सोचना होता है। वे वही करेंगे जो मुनाफे के हितमें होगा। अगर कोई बात इसमें आड़े आयेगी तो भलेही वह समाजके हितमें ही क्यों न हो, वे उसके बारेमें नहीं सोचेंगे।

इस के कई उदहारण हमारे सामने हैं,

- शेल एक बड़ी कंपनी है और CSR शुरू करने वाली शुरूआती कंपनियों में से एक है। वो नाइजर डेल्टा में से रिसे हुए तेल को हटानेमें सम्पूर्ण तौर से नाकाम रही और वो सामुदायिक विकासके एसे कार्यक्रम चलाती है जीसका कुछभी मूल्य नहीं और उसकी वजहसे समुदायों में अलगावभी आया।
- कोका कोला कंपनी ने ज़मीनमें से इतना भूगर्भ जल खिंच लिया है की अब आसपास के गावोंको पिने के और खेतिके लिए पानीकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
- विल्स जेसी कंपनियां एक तरफ तम्बाकू बेच कर मौत बांटती हैं और दूसरी और स्कूल वगैरा दत्तक लेकर शिक्षा देने का कार्य करती हैं। तो सीधी बात ये है की कथनी और करनी में अंतर है।
- **मिथक 1**

बाजार अल्पकालिक वित्तीय रिटर्न और दीर्घकालिक सामाजिक लाभ दोनों प्रदान कर सकता है।

सीएसआर के पीछे एक धारणा यह है कि व्यावसायिक परिणाम और सामाजिक उद्देश्य के बीच कम या ज्यादा गठबंधन हो सकता हैं। इस अवधारणा के पीछे व्यक्त तर्क मुक्त बाजार पूँजीवाद की मूल मान्यताओं पर जाता है: लोग तर्कसंगत होते हैं जो अपने स्वार्थ को अधिकतम करने के लिए प्रेरित होते हैं। चूंकि धन, स्थिर समाज, और स्वस्थ वातावरण सभी व्यक्तियों के स्वार्थ में हैं, इसलिए लोग व्यक्ति अंततः लाभदायक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दोनों तरीकों से कंपनियों में निवेश, उपभोग और निर्माण करेंगे। दूसरे शब्दों में, बाजार अंततः खुद को संतुलित करेगा।

वास्तव में, यह साबित करना मुश्किल है कि प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा करना, भविष्य के लिए एक शिक्षित श्रम बल सुनिश्चित करना या स्थानीय सामुदायिक समूहों में स्वैच्छिक योगदान करने जैसे प्रोत्साहन वास्तव में कंपनियों को अपना जमीनी स्तर सुधारने में मदद करते हैं। नतीजतन, पर्यावरण या सामाजिक कारणों जैसी चीजों में निवेश एक लक्जरी बन जाता है और अक्सर जबभी मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो एसे निवेश ही बलि का बकरा बनते हैं। हितधारक निवेषक नहीं ये बात हमें याद रखनी चाहिए।

- **मिथक 2**

नैतिक उपभोक्ता परिवर्तन को गति देगा।

एक सिमित बाजार है जोकी पूरी सक्रियातासे नैतिक व्यापार को पुरस्कृत कर रहा है, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए नैतिकता एक सापेक्ष चीज है। वास्तव में, अधिकांश सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उपभोक्ता नैतिकता की तुलना में कीमत, स्वाद, या बेचने की तारीख जैसी चीजों के बारे में अधिक चिंतित हैं। जब स्वार्थ की बात आती है तब नैतिकता याद नहीं आती।

- **मिथक 3**

व्यवसायों के बीच नैतिकतामें "शीर्ष पर पहुँचने की दौड़" लगी रहती है।

कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का दबाव उनको नैतिकतामें आगे जाने के लिए प्रेरित करता है, ये एक मिथक है। एसा भ्रम इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आजकल Business Ethics Awards, या Fortune's annual "BestCompanies to Work For" जैसे अवोडर्स की भरमार लगी है। कंपनियां स्वाभाविक रूप से सीएसआर योजनाओं के साथ गठबंधन करने की इच्छुक हैं क्योंकि वे अच्छे पीआर के लिए महत्वपूर्ण हैं। वास्तवमें जब कंपनिया सामाजिक उत्तरदायित्व को निभानेकी बात करती है तब वे कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व से नज़रे फिरा रहे होते हैं।

- **मिथक 4**

वैश्विक अर्थव्यवस्था में, विविध देश सर्वोत्तम नैतिक प्रथाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर भरोसे में वृद्धि के साथ साथ सीएसआरकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि इन अर्थव्यवस्थाओं के बाजार उदारीकरण से मानव और पर्यावरण अधिकारों का बेहतर संरक्षण होगा क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में दमनकारी शासन व्यवस्थाओं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां नज़र रखती हैं और नैतिकता की बढ़ावलत वे ऐसी शासन व्यवस्थाओं से व्यापार करने से दूर रहती है। जबकि हकिकतमें वे बस दिखावा करते हैं की वो मानव अधिकारों को लेकर या पर्यावरणको लेकर चिंतित हैं, जब मुनाफे की बात आती है तो कंपनिया बहोत ही भोलेपन से कहती है की वे सिर्फ उन देशों के कायदे कानून का पालन कर रही हैं।

हमें सीएसआर की प्रकृति और चरित्र को समझने की ज़रूरत है। आम धारणा तो यही बनी हुई है कि कंपनियां अपने फायदे के लिए सामाजिक कार्य करती हैं। ये सरकारी स्कूलों, स्थानों, संस्थानों आदि को हड्डप लेंगी। यह धारणा आम सामाजिक लोगों में गहरे बैठी हुई है। हमें इस धारणा को साफ करना होगा। हालांकि कंपनियां अपने मुनाफे में से ही काम करती हैं। इसे स्वीकारने में किसी को भी गुरेज़ नहीं होगा कि कंपनियां जो भी लाभ कमाती हैं उसका कुछ अंश समाज को विभिन्न क्षेत्रों में मदद कर लौटाती हैं। बात यह भी सच है कि कई प्रोजेक्ट महज कागज़ों पर हैं मसलन डेटा, रिपोर्ट आदि में। वहीं ऐसी सीएसआर गतिविधियां भी हैं जो सच्चे अर्थ में समाज में परिवर्तन में अपनी सकारात्मक और सतत विकास में रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। इन्हें नकारा भी नहीं जा सकता और हाशिए पर भी नहीं धक्केल सकते।

गांधी जी ने वर्धा में कहा था— हर हाथ को काम और हर हाथ को शिक्षा। इस सपने को पूरा करने में न केवल सरकारी योजनाएं लगी हुई हैं बल्कि सरकार के साथ-साथ सीएसआर के प्रयास भी लगे हुए हैं। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि देश में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र को बेहतर बनाना है कि सरकार के साथ-साथ नागरिक समाज को भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। वरना आरोप-प्रत्यारोप तो पिछले सत्तर वर्षों से लगा ही रहे हैं। दूसरी प्रमुख बात यहां रेखांकित करने की यह है कि सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो हमें कुछ ठोस और रणनीतिबद्ध तरीके से योजनाएं बना कर उन्हें व्यवहार में लाना होगा। सीएसआर गतिविधियों के तहत कंपनियां दूर दराज़ इलाकों में इन्हीं कामों में लिप्त हैं। कुछ महज अपने कामों में जुटे हैं तो कुछ आंकड़ों के पहाड़ खड़े करने में। हमें आंकड़ों से बाहर निकल कर जमीन पर गांधी जी के सपनों को साकार करना होगा। इसमें सरकार और सीएसआर को एक मंच पर एकमना होकर काम करने की आवश्यकता पड़ेगी।

References

- “Greenwash + 10: The U.N.’s Global Compact, Corporate Accountability, and the Johannesburg Earth Summit,” Corporate Watch, January 2002.
- “The Global Reporters 2004 Survey of Corporate Sustainability Reporting,” SustainAbility, UNEP, and Standard & Poor’s.
- “Who Are the Ethical Consumers?” Co-operative Bank, 2000.
- M. Kelly, *The Divine Right of Capital: Dethroning the Corporate Aristocracy* (San Francisco: Berrett-Koehler, 2003).
- Co-operative Bank, 2004 Ethical Purchasing Index, <http://www.co-operativebank.co.uk/servlet/Satellite?cid=1077610044424&pagename=CoopBank%2FPage%2FtplPageStandard&c=Page>.
- E. Elhauge, “Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest,” *New York University Law Review* 80, 2005.
- Ethical Purchasing Index, 2004.

- 358 Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME), Volume 10, No. 04, October, 2020
- G. Younge, "McDonald's Grabs a Piece of the Apple Pie: 'Healthy' Menu Changes Threaten the Health of Biodiversity in Apples," *The Guardian*, April 7, 2005.
- Green Gauge Report 2002, Roper ASW, as related by Edwin Stafford.
- J. Miller, "Double Taxation Double Speak: Why Repealing Tax Dividends Is Unfair," *Dollars & Sense*, March/April 2003.
- N. Klein, *No Logo: Taking Aim at the Branding Bullies* (United Kingdom: Harper- Collins, 2001).
- U.K. Institute of Grocery Distributors, 2003.
- Zimmerman, "Costco's Dilemma: Be Kind to Its Workers, or Wall Street," *Wall Street Journal*, March 26, 2004.
- http://makower.typepad.com/joel_makower/2005/06/ideal_bite_keep.html.
- http://money.cnn.com/2004/05/17/pf/autos/suvs_gas/.
- <https://one-report.com/10-myths-corporate-social-responsibility-strategy/>
- https://ssir.org/articles/entry/the_myth_of_csr#
- https://www.business.com/advice/member/p/skye-schooley/?_ga=2.244208257.565632583.1609490422-1424173682.1609490422
- <https://www.prabhasakshi.com/currentaffairs/what-is-csr-activity-in-india>

◆□◆